रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

16/6/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179) नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 8, 1986/चैत्र 18, 1908
No. 179] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 8, 1986/CHAITRA 18, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय
(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1986

अधिसूचना

सा.का नि. 611(अ)—धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप, धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 (1958 का 21) की धारा 22 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अधिसूचना स सा.का नि. 921 तारीख 5 अक्तूबर, 1985 क अधीन, भारत के राजपत्र, भाग 2, खड 3, उपखड (1), तारीख 5 अक्तूबर, 1985 मे प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियो से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी। उक्त अधिसूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मागे गए थे।

और उक्त राजपत्र 7 अक्तूबर, 1985 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप के सम्बन्ध मे प्राप्त आक्षेपो ओर सुझावों पर विचार कर लिया है

अत', केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन,) नियम, 1959 का और सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) (सशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम 1959 की अनुसूची मे प्ररूप 4 मे खंड 3 मे, अनुज्ञप्ति की शर्तों से सम्बन्धित, 3 (घ) मे,—

(1) पहले परतुक मे दस वर्ष ओर तीन मास शब्दों के स्थान पर । ग्यारह वर्ष ओर तीन मास शब्द रखे जाएंगे।

(2) दूसरे परतुक मे 31 जुलाई, 1985 शब्दों और अंकों के स्थान पर 31 जुलाई, 1986 शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(फा.स. 15(6)/85-डी. एण्ड आर-1)
जी व'. विश्वनाथ, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन:

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय, खाद्य विभाग से, सभी राज्य सरकारों से परामर्श करने की अपेक्षा की जाती है और धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम, 1959 के संशोधन को पुन: प्रकाशित करने की भी अपेक्षा की जाती है। अगस्त, 1985 के पहले सप्ताह में, केन्द्रीय सरकार की समय सीमा के और बढ़ाए जाने के आशय की सूचना राज्य सरकारों को दी थी। राज्य सरकार से औपचारिक परामर्श करने में पर्याप्त समय लगा और इस प्रकार 2(i) और 2(ii) को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है। यह प्रमाणित किया जाता है कि भूतलक्षी प्रभाव देने से, किसी व्यक्ति के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाद टिप्पण:

धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम, 1959, भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 510 तारीख 22 अप्रैल, 1959 के अधीन प्रकाशित किए गए थे। इस नियम को समय-समय पर निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधित किया गया है।—

(1) सा.का.नि. 1129 तारीख 12-10-1959
(2) सा.का.नि. 694 तारीख 16-6-1960
(3) सा.का.नि. 1028 तारीख 29-8-1960
(4) सा.का.नि. 93 तारीख 15-1-1962
(5) सा.का.नि. 1369 तारीख 6-8-1963
(6) सा.का.नि. 133 तारीख 18-1-1965
(7) सा.का.नि. 1143 तारीख 2-8-1965
(8) सा.का.नि. 85 तारीख 7-1-1966
(9) सा.का.नि. 259 तारीख 11-2-1966
(10) सा.का.नि. 553 तारीख 24-3-1970
(11) सा.का.नि. 105 तारीख 18-1-1971
(12) सा.का.नि. 490 (अ) तारीख 29-7-1976
(13) सा.का.नि. 284 तारीख 18-2-1977
(14) सा.का.नि. 408 तारीख 16-3-1978
(15) सा.का.नि. 80(अ) तारीख 23-2-1979
(16) सा.का.नि. 752 (अ) तारीख 31-12-1979
(17) सा.का.नि. 180 (अ) तारीख 16-3-1981
(18) सा.कानि. 490(अ) तारीख 8-7-1982
(19) सा.का.नि. 635(अ) तारीख 5-8-1985
(20) सा.का.नि. 1144 तारीख 14-12-1985

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

New Delhi, the 8th April, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 611(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Rice Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules, 1959, was published as required by sub-section (1) of section 22 of the Rice Milling Industry (Regulation) Act, 1958, (21 of 1958) in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 5th October, 1985, under the notification of the Government of India in the Ministry of Food & Civil Supplies (Department of Food). No. G.S.R. 921, dated the 5th October, 1985, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of fortyfive days from the date on which the copies of the Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 7th October, 1985;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 22 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rice Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules, 1959, namely :—

1. (1) These rules may be called the Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules, 1959, in the Schedule, in form IV, in clause 3, relating to conditions of license, in condition (3D).

(i) in the first proviso, for the words "ten years and three months" the words "eleven years and three months" shall be substituted;

(ii) in the second proviso, for the words and figures "the 31st July, 1985" the words and figures "the 31st July, 1986" shall be substituted.

[File No. 15(6)|85-D&R I]

G. V. VISWANATH, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM :

The Ministry of Food & Civil Supplies, Department of Food, are required to consult all State Governments and also required to pre-publish the amendments to the Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules, 1959. In the first week of August, 1985, the State Governments were informed of the intention of the Central Government to further extend the time limit. Formal consultations with the State Government took considerable time and as such, retrospective effect is being given to the amendments at 2(i) and 2(ii). It is certified that giving retrospective effect would not adversely affect the interest of any person.

FOOT NOTE.—The Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules, 1959, were published under the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food and Agriculture (Depratment of Food), No. G.S.R. 510, dated the 22nd April, 1959. These rules have been amended from time to time by notifications Nos.,—

(1) G.S.R. 1129 dated 12-10-1959.
(2) G.S.R. 694 dated 16-6-1960.
(3) G.S.R. 1028 dated 29-8-1960.
(4) G.S.R. 93 dated 15-1-1962.
(5) G.S.R. 1369 dated 6-8-1963.
(6) G.S.R. 133 dated 18-1-1965.
(7) G.S.R. 1143 dated 2-8-1965.
(8) G.S.R. 85 dated 7-1-1966.
(9) G.S.R. 259 dated 11-2-1966.
(10) G.S.R 553 dated 24-3-1970.
(11) G.S.R. 105 dated 18-1-1971.
(12) G.S.R. 490(E) dated 29-7-1976.
(13) G.S.R. 284 dated 18-2-1977.
(14) G.S.R. 408 dated 16-3-1978.
(15) G.S.R. 80(E) dated 23-2-1979.
(16) G.S.R. 752(E) dated 31-12-1980.
(17) G.S.R. 180(E) dated 16-3-1981.
(18) G.S.R. 490(E) dated 8-7-1982
(19) G.S.R. 635(E) dated 5-8-1985
(20) G.S.R. 1144 dated 14-12-1985

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986